भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

~~198~~ 191

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म॰प्र॰

- -

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्र.

3/1/4/12

R : 280 - II / 13

माधो ढीमर तनय बिटउआ ढीमर आयु 55 वर्ष
पेशा कृषि निवासी ग्राम रमपुरा तहसील बल्देवगढ
जिला टीकमगढ़ (म॰प्र॰)

— निगराकार

बनाम

1॰ रघुआ ढीमर तनय बिटउआ ढीमर निवासी
रमपुरा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म॰प्र॰
2॰ मध्य प्रदेश शासन

—— प्रतिनिगराकार

क्रमांक 141 ... आज 14-1-13 प्राप्त

14-1-13

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म॰प्र॰भू॰रा॰संहिता

- -

निगरानी प्रतिकूल आदेश विद्वान अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म॰प्र॰ के सीमांकन प्र॰क्र॰ 24/अ–12/2011–12 मे पारित आदेश दिनांक 7/7/12 से दुखित होकर ।

- -

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार है :-

1/- यहकि विद्वान राजस्व निरीक्षक मंडल बल्देवगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/7/12 विधि विधान एवं वाक्यात पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

2/- यहकि विद्वान अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल बल्देवगढ द्वारा उपरोक्त प्रकरण की सम्पूर्ण आधार रहित कार्यवाही एक दिन मे ही पूर्ण कर दी गई है और राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन स्वीकृत किया गया है और निगराकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करने का उन्हे कोई अधिकार नही था फिर भी मनमाने ढंग से बिना सुनवाई किये आपत्ति का निराकरण कर दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-280-दो/2013 जिला-टीकमगढ़

माधो ढीमर विरूद्ध रउआ ढीमर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 07-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 8/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	